

पत्रांक-742 /12-1 . कोटबंगला, दिनांक 23 /08 /2023

सेवा .

वन संरक्षक,
भागीरणी वृत्त, उत्तरखण्ड
मुन्सिरीरेली।

विषय :- विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत बन्गाव-चापडा- कसलाना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/21335/2016
सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चिन्यालीसौड का कार्यालय पत्रांक
संख्या-1435/03 एल०ए० दिनांक 09.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम मे विषयगत मोटर मार्ग में उच्च स्तर से ऑनलाइन ऑप्टि लगाई गई थी कि "पार्ट-1 के k (i) (a) में वन अधिकार अधिनियम-2006 की जिला स्तरीय समिति के अभिलेखों की छायाप्रति के स्थान पर मूल प्रति अपलोड करने का कष्ट करें।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण प्रयोक्ता विभाग द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	पार्ट-1 के k (i) (a) में वन अधिकार अधिनियम की जिला स्तरीय समिति के अभिलेखों की छायाप्रति के स्थान पर मूल प्रति अपलोड करने विषयक	पार्ट-1 के k (i) (a) में वन अधिकार अधिनियम की जिला स्तरीय समिति के अभिलेखों की मूल प्रति ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है, जिस कारण मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रपत्रों की छायाप्रति डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार

o/c

भवदीय,

(डी०पी०बलून)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी